उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 48/2020/542/92-2-20-35जांच/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 17 फरवरी,2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ में वर्ष 2016-17 में चयनित डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में बरती गयी अनियमितताओं हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-104/2018/2064/92-2-18-35जांच/18 दिनांक 08-08-2018 द्वारा श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-मेरठ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-मेरठ के पत्र सं0-1910/ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/अनु0जांच-श्री अरबिन्द शुक्ला/2018-19 दि0 07.02.2019 द्वारा शासन को उपलबध करायी गयी जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 03 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित नही पाया गया।

2- अत: अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित 03 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित न पाये जाने एवं प्रकरण में किसी प्रकार की शासकीय क्षति परिलक्षित न होने के दृष्टिगत श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञापसं0-104/2018/2064/92-2-18-35जांच/2018 दि0 08-08-2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-48/2020/542/(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in